शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण

*119. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि अधिगृहित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : कर्नाटक सरकार को छोड़कर, किसी भी राज्य सरकार से, जहां नगर भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम, 1976 लागू है, अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित खाली भूमि की मात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । कर्नाटक सरकार से यह पता चला है कि अधिनियम की धारा 10 (3) के अन्तर्गत बंगलौर नगर संघटीकरण में 13,174·03 वर्ग मीटर रिक्त भूमि को फालतू खाली भूमि के रूप में अर्जन करने के लिये अधिसूचित कर दिया गया है ।

भूमि हीन मजदूर

*120. **श्री कर्पूरी ठाकुर** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने भूमिहीन मजदूर है ?

(ख) गत वर्ष सरकार ने कितने भूमिहीन मजदूरो को भूमि दी थीं ; और

(ग) शेष भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की संख्या 456 लाख थी ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) उपलब्ध फालतू तथा अन्य भूमि को पात्र श्रेणियों के व्यक्तियों को (जिन में भूमिहीन कृषि श्रमिक भी शामिल है) वितरित की जाती रहेगी ।

राजस्थान में निर्धन परिवारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता

966. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में वे निर्धन परिवार जिन्हें मकान बनाने के लिये भूमि आवंटित की गई थी, धन की कमी के कारण अपने मकान बनाने की स्थिति में नहीं है !

(ख) राष्ट्रीय बैंकों/जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इस कार्य के लिये गत तीन वर्षों में अलग अलग कितनी राशि की सहायता दी गई ; और

(ग) इस कार्य की गति को तेज करने के लिये अन्य कौनसी योजनाऐं सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान राज्य सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड जो कि राज्य स्तर पर एक अपैक्स निकाय है, आवास स्थलों के पात्र